अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.3(1)/आरसीएच/एमडीआर/2012/1055

दिनांकः 31/8/12

1. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिले,
2. जिला आशा–समन्वयक, समस्त जिले,

विषयः– शहरी क्षैत्र में मातृ व शिशु मृत्यु (जन्म से एक वर्ष तक) की संकलित सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शहरी क्षैत्र में अप्रैल, 2012 से पत्र प्राप्ति तक की मातृ व शिशु मृत्यु की लाईन लिस्टिंग के लिए जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला आशा–समन्वयक अपने संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से शहरी क्षैत्र में होने वाली मातृ एवं शिशु मृत्यु की नामवार संकलित सूचना 10 सितम्बर, 2012 तक निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

शहरी आशा–सहयोगिनी घर–घर जाकर मातृ एव शिशु मृत्यु की सूचना संलगन प्रपत्र में सम्बधित एएनएम से सत्यापित करवाकर संबंधित जिला प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय/खण्ड मुख्य चिकित्सा कार्यालय में भेजेंगी। शहरी आशा–सहयोगिनियों को मातृ व शिशु मृत्यु की सूचना देने पर 50 रूपये राशि प्रति मातृ मृत्यु व 50 रूपये राशि प्रति शिशु मृत्यु शहरी आर.सी.एच/आर.सी.एच.–II फ्लैक्सी पूल मद से देय होगी।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला आशा–समन्वयक उक्त सूचना मासिक प्रतिमाह की 8 तारिख तक नियमित रुप से निम्नलिखित प्रपत्र में भरकर राज्य स्तरीय ई–मेल co.asha_nrhm@yahoo.com एंव no_camp.nrhm@yahoo.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

क्रं. सं.	खण्ड का नाम /निकटतम सरकारी चिकित्सा संस्था का नाम	संबंधित वार्ड संख्या/ मौहल्ले का नाम	मृतका का नाम जन्म से एक वर्ष तक के मृत शिशु का नाम	परिवार के मुखिया का नाम	मृतका /मृत शिशु की उम्र	मृत्यु की दिनांक	मृत्यु का स्थान	मृतका का नाम

उपरोक्त कार्य जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अपने निर्देशन में सम्पादित करावें।

निदेशक – आरसीएच

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजि सचिव, मिशन निदेशक, एनआएचएम।
2. समस्त जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता कि उपरोक्त कार्य अपने निर्देशन में सम्पन करावे जिसकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. सलाहकार आईटी, एनआरएचएम, कमरा न0 302 संबंधित को मेल करने हेतु।

निदेशक – आरसीएच